

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक **04 JUL 2017**

क्रमांक एफ-2-36/2015/सात-2 -:- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक/438/07/चयन/2016/12, दिनांक 07.06.2016 द्वारा नायब तहसीलदार के पद हेतु जारी चयन सूची की मुख्य सूची के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक/3678/07/परीक्षा/2016/12, दिनांक 30.03.2017 द्वारा प्राप्त अनुपूरक सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा इनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नीचे उल्लेखित कॉलम नं.-05 में दर्शित जिले में नायब तहसीलदार के पद पर वेतन बैंड रुपये 9300-34800 तथा ग्रेड पे 4200 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर अनन्तिम (Provisional) रूप से अधिरोपित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

स. क्र.	अनुपूरक सूची क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पत्र व्यवहार का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला	श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	श्री शिव कुमार डनसेना	ग्राम+पोस्ट-गोबरसिंहा, थाना-बरमकेला, जिला-रायगढ़, छ0ग0	जांजगीर-चांपा	अनारक्षित
2	2	श्री गुरुदत्त पंचभाये	ग्राम-घोरतलाव, पोस्ट- सड़क चिरचारी, तहसील- छुरिया, जिला-राजनांदगांव, छ0ग0, पिन-491557	कोरबा	अनारक्षित
3	3	श्री जुगल किशोर पटेल	ग्राम-मांजरमाटी, पोस्ट-टमटोरा, तह-सारंगढ़, जिला-रायगढ़, छ0ग0, पिन-496445	बस्तर	अनारक्षित
4	4	श्री सर्वेश कुमार यादव	c/o आर.बी. देवागंन, मकान नं. 151, फेज- 01, परसुराम चौक, राजकिशोर नगर, जिला-बिलासपुर, छ0ग0, पिन-495006	दंतेवाड़ा	अनारक्षित
5	5	श्री विक्रान्त सिंह परिहार	s/o श्री भगत सिंह परिहार, मकान नं. 10/169, स्कूल पारा, ग्राम-माड़ीसरई, तहसील-भरतपुर, थाना- जनकपुर, जिला- कोरिया, छ0ग0 पिन-497778	सरगुजा	अनारक्षित
6	6	श्री रविशंकर राठौर	एच.आई.जी.-92, एम.पी. नगर निहारिका, जिला-कोरबा, छ0ग0	सुकमा	अनारक्षित

निरंतर..... 02

//02//

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	8	श्री तरुण बैनर्जी	प्लॉट नं.-डी/9, पी.डी. नगर, स्ट्रीट नं.-3, विवेकानंद कालोनी धमतरी, जिला-धमतरी, पिन-493773, छ0ग0	नारायणपुर	अनारक्षित
8	9	डॉ. विनीता शर्मा	मथुरा कुंज, मकान नं. 324, मैनाबार रोड गोस्वामी सदन के पास, बाजार चौक, पुराना चंगोराभाटा, रायपुर, पिन- 492013, छ0ग0	कांकेर	अनारक्षित
9	15	श्री पेखन टोण्ड्रे	ग्राम- मुरकी, पोस्ट ऑफिस- दाढ़ी, तहसील व जिला- बेमेतरा, छ0ग0, पिन-491335	बिलासपुर	अ.जा
10	16	श्री सरोज कुमार महिलांगे	कमरा नं. -1, एफ.एच-04, एन.टी.पी.सी. कनिहा, पोस्ट- दीपशिखा, जिला- अंगुल, ओड़िशा, पिन-759147	बीजापुर	अ.जा.
11	19	श्री रुपेश कुमार मरकाम	C/O श्री गजेन्द्र ध्रुव, ग्राम+पोस्ट+थाना- केरेगांव, तह- नगरी, जिला- धमतरी, छ0ग0, पिन-493773	सुकमा	अ.ज.जा.
12	20	श्री देवेन्द्र नेताम	ग्राम-करचाली, पोस्ट-रानीपरतेवा, तहसील-छुरा, जिला-गरियाबंद, छ0ग0, पिन- 493996	महासमुंद	अ.ज.जा.
13	21	श्री विजय कुमार कोठारी	ग्राम- कन्नेवाड़ा, पोस्ट- करहीभदर, तहसील- बालोद, जिला- बालोद, छ0ग0, पिन- 491227	दंतेवाड़ा	अ.ज.जा
14	22	श्री विष्णु प्रसाद पैकरा	ग्राम+पोस्ट- गिनाबहार, तहसील- कुनकुरी, जिला- जशपुर, छ0ग0, पिन- 496225	राजनांदगांव	अ.ज.जा
15	23	श्री कुलदीप ठाकुर	ग्राम+पोस्ट- झलमला, तहसील व जिला- बालोद, छ0ग0, पिन- 491226	राजनांदगांव	अ.ज.जा
16	24	श्री निवेश कोरेटी	के-4, ग्रीन लैण्ड, विशाल नगर, न्यू पुरैना रायपुर, जिला- रायपुर, छ0ग0, पिन- 492001	धमतरी	अ.ज.जा
17	25	श्री यशवंत कुमार	ग्राम+पोस्ट- जयरामनगर, जिला- बिलासपुर, छ0ग0, पिन- 495550	बलौदाबाजार- भाटापारा	अ.ज.जा



निरंतर..... 03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	26	श्री नीतिन ठाकुर	ग्राम+पो.+थाना- सिहावा, तह- नगरी, जिला- धमतरी, छ0ग0 पिन- 493778	बालोद	अ.ज.जा
19	27	श्री कमलेश कुमार सिदार	जी- 37, नूतन कालोनी सरकंडा, बिलासपुर जिला- बिलासपुर, छ0ग0 पिन- 495001	कांकेर	अ.ज.जा
20	28	श्री लवकेश कुमार ध्रुव	एच-11, न्यू पेंशन बाड़ा, महिला पालीटेक्नीक कालेज के पास, कटोरा तालाब, रायपुर, छ0ग0 पिन-492001	बस्तर	अ.ज.जा
21	29	श्री अमित कुमार कैरकेट्टा	ग्राम- उदयपुर ढाब (सड़क पारा), पोस्ट- भिट्ठीकला, थाना- मणिपुर, जिला- सरगुजा, छ0ग0, पिन-497001	बलरामपुर- रामानुजगंज	अ.ज.जा

शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम (Provisional) है एवं जाति, निवास, शैक्षणिक अर्हता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य आदि प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने तथा सही पाये जाने के अध्यधीन है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा वह किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा (निर्धारित प्रारूप संलग्न है)।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिए जायेंगे।



निरंतर..... 04

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कारण बताये, पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ता द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अन्तिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाएगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयां अपने जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण-पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित जिलों के कलेक्टर के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 01 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम (**Provisional**) है तथा परीक्षा अवधि में बिना कोई कारण बताये, एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा।

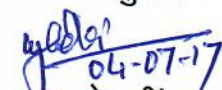


निरंतर..... 05

// 05 //

11. नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
 12. नियुक्त अभ्यर्थियों को जब प्रशिक्षण हेतु जहां भी बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति संबंधित स्थान पर देंगे।
 13. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अभ्यर्थी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।
 14. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को अपनी परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनाधिक, अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा। जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त की जा सकेंगी।
 15. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किए जायेंगे।
 16. नवनियुक्त नायब तहसीलदार का यह दायित्व होगा कि जिले में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की सूचना/प्रतिवेदन जिलाध्यक्ष के माध्यम से एवं स्वयं भी इस विभाग को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करावें।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एन.एम.घोड़की)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

निरंतर..... 06

प्रतिलिपि :-

04 JUL 2017

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर, छ0ग0
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
3. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
5. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक/3678/07/परीक्षा/2016/12, दिनांक 30.03.2017 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त संभागायुक्त, छ0ग0
8. महालेखाकार जीरो पॉइन्ट, विधान सभा रोड, रायपुर छत्तीसगढ़
9. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि भविष्य में आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर छ.ग.
11. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छ0ग0
12. समस्त जिला कलेक्टर, छ0ग0 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व अवलोकन हेतु प्रस्तुत मूल जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण कराये। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न कराकर संबंधित प्रकरण विभाग को प्रेषित करें तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र मूलतः इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ0ग0
14. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... को निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल-दस्तावेज संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करें, ताकि कार्यभार ग्रहण करने के



निरंतर.....07

// 07 //

पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें।

15. राजस्व विभाग के वेबसाइट www.cg.nic.in/revenue में अपलोड हेतु.
16. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

शपथ-पत्र

समक्ष,

.....

.....

.....

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....(नाम) पिता/पति श्री.....
आयु वर्ष, निवासी..... शपथ पूर्वक कथन
करता/करती हूँ, कि

1. मुझे छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-36/2015/सात-2, दिनांक में उल्लेखित शर्त क्रमांक-1 से 16 तक मान्य हैं तथा मैंने इन शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है।
2. यह भी कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निवास प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि है।
3. यह भी कि मेरे द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रस्तुत प्रमाण-पत्र मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र वैध रूप से जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि है।
5. मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी मिथ्या अथवा असत्य नहीं है।
6. मेरे द्वारा अनुप्रमाणन फार्म के कॉलम-12 में किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया गया है तथा अनुप्रमाणन फार्म में भरी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पिता/पति श्री.....आयु वर्ष, निवासी
यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त कंडिका 1 से 6 तक कथन सही है तथा
मिथ्या व असत्य नहीं है।

शपथकर्ता